

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 6123/2022

अशोक कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव खेल विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।
3. जिला कलक्टर सीकर।
4. मुख्य खेल अधिकारी प्रशिक्षण राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.11.2022

आदेश की दिनांक : 02.12.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री पंकज शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- एम.एस काला, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.02.1991 को खेल प्रशिक्षण के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में जिला खेलकूद अधिकारी के पद पर जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 21.11.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र जिला धोलपुर में बिना किसी प्रशासनिक कारणों के दुरस्थ रिक्त स्थान पर किया गया है, जो विधि-विरुद्ध व मनमाना है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की 2019 में इटरनल हास्पिटल, जयपुर में बाईपास सर्जरी हुई थी तथा अपीलार्थी का ईलाज निरन्तर उसी हास्पिटल में चल रहा है। जिसके कारण अपीलार्थी को डॉक्टर के सम्पर्क में रहना पड़ता है। अपीलार्थी के एक पुत्र है, जो बीमार रहता है। उसकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 21.11.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त

किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान में जिला खेलकूद अधिकारी के पद पर जिला सीकर में रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये स्वयं अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(एम.एस काला)
सदस्य